

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—उपखण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

156]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 1975/श्रावण 16, 1897

156]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 7, 1975/SRAVANA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th August 1975

SUBJECT.—*Changes/Amendments in the Exports Control Procedure Rules and Regulations.*

No. 33-ETC(PN)/75.—It has been decided to make, with immediate effect, the following changes/amendments in the Export Control Procedures, Rules and Regulations as a measure of simplification and rationalisation

1. Export fee abolished.—Fee payable on export applications has been abolished. The exporters shall not, hereafter, be required to pay any fee in respect of application for a licence for export in terms of Export (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1968/AM(161), dated the 6th August, 1975.

2. Items placed on Open General Licences for Export.—A number of items have been placed on Open General Licences. O.G.L. 3 and O.G.L. 4 have been issued *vide* Export (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1968/AM(162), dated the 6th August, 1975. In respect of these items, the exporters will not have to approach the Export Trade Control Licensing authorities to obtain an export licence or permission to export on Shipping Bills. For these items the exporters should approach the Customs authorities at the port of export, with shipping bills and other prescribed documents, duly filled in, as laid down. The exporters should ensure that the various conditions stipulated against these items in O.G.Ls are duly complied with. The Customs authorities will undertake the necessary checks, before allowing export.

3. Export of items included in O.G.L. 4 will be allowed only through the canalising agency mentioned against each item in the O.G.L. However, where export is to be made by an associate of the designated canalising agency and shipping documents are duly endorsed by such agency to the effect that the export is in execution of a contract approved by it, the export will be allowed by the Customs in such cases "on account" of the canalising agency concerned.

4. In the case of controlled items including those canalised through agencies not in the Public Sector, which are not included in O.G.L. 3 and O.G.L. 4, the Export Trade Control Authorities shall continue to be the licensing authorities.

5. **Ready-made garments.**—In respect of ready-made garments (including in O.G.L. 3), the Textile Export Promotion Council (TEXPROCIL) will straightaway grant a quota to the exporter without asking him to first get the shipping bills stamped with Customs' Number and Date. After the quota has been granted by TEXPROCIL, and the consignment has been inspected by the Export Inspection Agency, the exporter should approach the Customs authorities at the port of export for export permission. The exporter will not be required to approach the licensing authorities. The requirement that the exporter shall submit a monthly report to TEXPROCIL shall continue.

6. **"On Merit" items for export.**—In respect of controlled items where the policy indicates that export will be allowed "On Merits", applications for export should be made directly to the Office of the CCI&E, New Delhi (Export Division) and not to port licensing authorities.

7. **Items allowed for export within specified ceilings.**—In respect of certain items in the controlled list, the export licensing procedures have been further simplified. Exports of 20 chemical items will be allowed by port licensing authorities on first-come, first-served basis within quantity ceilings, without reference to any other authority. A list of these items is given in the Annexure A to this Public Notice.

8. **Items decontrolled for export.**—A number of items which were hitherto controlled for exports have been decontrolled, *vide* Export (Control) Amendment Order No. E(C)O 1968/AM(161), dated the 6th August, 1975. A list of these items is given in Annexure B to this Public Notice.

9. Export of Human Hair has been decanalised and decontrolled.

10. It is clarified that export of Thached Rice (Chivda) and Puffed Rice (Murmura) falling under S No 25(i) and Mango Slices in Vinegar falling under S. No 37 of Part B of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, shall no longer be deemed to be controlled items. Export of these items will be allowed without any licensing formalities.

11. **Items transferred from "Banned" to "Restricted" list for export and vice-versa.**—Twelve items (or sub-items) have been transferred from Part A to Part B in Schedule I to the Exports (Control) Order, and eleven items have been transferred from Part B to Part A in the said Schedule I. *vide* Export (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1968/AM(161), dated the 6th August, 1975. A list of these items is given in Annexure B to this Public Notice.

ANNEXURE A

1. Benzene
2. Butyl Alcohol
3. Butyl Acetate
4. Mono Chloro Acetic Acid
5. Toluene
6. Ethanol Amine
7. Di-Acetone Alcohol
8. Nitro-Toluene
9. Trichloro Ethylene
10. Perchloro Ethylene
11. Tetra Chloro Ethane
12. Bisphenol 'A'
13. Polystyrene
14. 2-Ethyl Hexanol

15. Hexamine
16. Phenol
17. Phthalic Anhydride
18. Phthalate Plasticizers
19. Rubber Chemicals
20. P.V.C. Resin.

ANNEXURE B

(i) List of items transferred from Part A to Part B

1. Polystyrene
2. 2-Ethyl Hexanol
3. Hexamine
4. Phenol
5. Phthalic Anhydride
6. Phthalate Plasticizers
7. Rubber Chemicals
8. PF Moulding Powder
9. PF Resins
10. UF Resins
11. UF Moulding Powder
12. P.V.C. Resin.

(ii) List of items transferred from Part B to Part A

1. Aluminium, unwrought
2. Chrome Ores and Concentrates
3. Zinc Concentrates
4. Vanadium Ores and Concentrates
5. Vanadium bearing iron ores
6. Tungsten (wolfram) Ores and Concentrates
7. Soda Ash
8. Citric Acid
9. Creosote Oil (light and heavy) coal tar mixtures containing coal tar
10. Gums and resins the following :—
Oleo-resins *ex-pinus longifolia*.
11. Silk Worms.

(iii) List of items which have been decontrolled

1. Lamb fur skins raw and pickled
2. Human Hair Wigs and Wiglets and other articles made partly or wholly of human hair
3. Bananas
4. Mango slices in brine
5. Cotton Waste
6. Motor Vehicles, namely, Jeeps, Motor Cars, Motor Cycles
7. Lead semis in the form of sheets, circles, wires, rods and foils
8. Zinc oxide
9. Paddy husk [including dried and pulverised rice (paddy) husk both in raw and processed form] but free from rice bran
10. Zinc Sulphate
11. Zinc Hydroxide

12. Methanol
13. Metamine Phenol
14. Ethyl Acetate
15. Formaldehyde
16. O-Xylene (ortho-Xylene)
17. Mixed-Xylene
18. Foods using soyabean as base.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1975

विषय.—निर्यात नियंत्रण प्रक्रिया नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन संशोधन

सं. 33-ई० टी०सी (पी० एन०)/75.—निर्यात प्रक्रिया नियंत्रण नियमों तथा विनियमों को सरणीकृत एवं युक्तिसंगत बनाने के लिए उसमें तुरन्त ही निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन करने का निश्चय किया गया है।

1. **निर्यात शुल्क प्राप्त करना.**—निर्यात आवेदनपत्रों के लिए दिए जाने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद, निर्यातकों को निर्यात के लिए लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र के सम्बन्ध में निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश संख्या : ई (सी) ओ 1968/ए एम (161), दिनांक 6 अगस्त, 1975 के अनुसार किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. **निर्यात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस में रखी गई मर्राे.**—खुले सामान्य लाइसेंस में कई मर्राे रखी गई हैं। खुले सामान्य लाइसेंस संख्या : 3 एवं खुले सामान्य लाइसेंस संख्या : 4 जारी की गई हैं— देखें निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश संख्या : ई (सी) ओ 1968/ए एम (162), दिनांक 6 अगस्त, 1975। इन मर्राे के सम्बन्ध में निर्यातकों को निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए या लदान बिल के आधार पर निर्यात करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निर्यात व्यापार नियंत्रण लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित नहीं करना पड़ेगा। इन मर्राो के लिए निर्यातकों को चाहिए कि वे लदान बिल एवं अन्य यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ जोकि विधिवत् भरे हुए हों, सीमाशुल्क प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करें। निर्यातकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि खुले सामान्य लाइसेंस में इन मर्राो के सामने उल्लिखित विभिन्न शर्तों का विधिवत् अनुपालन किया जाता है। सीमाशुल्क प्राधिकारी निर्यात की स्वीकृति देने से पूर्व आवश्यक जांच करेंगे।

3. **खुले सामान्य लाइसेंस 4 में शामिल की गई मर्राो के निर्यात की स्वीकृति प्रत्येक मर्राे के सामने संकेतित सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के माध्यम से ही दी जाएगी।** लेकिन, जहां पर निर्यात मनीनीत सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के सहयोगी द्वारा किया जाता है और ऐसे अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में लदान दस्तावेज विधिवत् पृष्ठांकित कर दिए जाते हैं कि निर्यात उन के द्वारा अनुमोदित संविदा के अनुसार किया जा रहा है तो ऐसे मामलों में निर्यात की स्वीकृति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्बद्ध सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के "लेख पर" ही दी जाएगी।

4. नियंत्रित मदों के मामले में जिन में वे मदें भी शामिल हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों से भिन्न अभिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध की गई हैं और जो खुले सामान्य लाइसेंस संख्या : 3 एवं खुले सामान्य लाइसेंस संख्या : 4 में शामिल नहीं की गई हैं, उनके लिए निर्यात व्यापार नियंत्रण प्राधिकारी ही लाइसेंस प्राधिकारी रहेंगे।

5. तैयार पोशाकें—तैयार पोशाकों के मामले में (जोकि खुले सामान्य लाइसेंस संख्या : 3 में भी शामिल है) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् (टेक्सप्रोसिल) निर्यातक को पहले लदान बिलों पर सीमाशुल्क संख्या एवं दिनांक की मोहर लगाने के लिए कहे बिना ही सीधे ही कोटा प्रदान करेगा। टेक्सप्रोसिल द्वारा कोटा स्वीकृत करने और निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रेषण के निरीक्षण हो जाने के बाद ही निर्यातक को चाहिए कि वह निर्यात के लिए स्वीकृति के लिए निर्यात के पत्तन पर के सीमाशुल्क प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करे। निर्यातकों को लाइसेंस प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा। निर्यातक द्वारा टेक्सप्रोसिल को मासिक रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता लागू रहेगी।

6. “पात्रता के आधार पर” निर्यात के लिए मदें—उन नियंत्रित मदों के सम्बन्ध में जहाँ पर नीति यह संकेतिन करती है कि निर्यात की स्वीकृति “पात्रता के आधार पर” दी जाएगी तो निर्यात के लिए आवेदनपत्र सीधे ही मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली (निर्यात प्रभाग) को भेजे जाने चाहिए और न कि पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों के पास।

7. बिश्टोक्लन उच्चतम सीमा तक निर्यात के लिए स्वीकृत मदें—नियंत्रित सूची में कुछ मदों के सम्बन्ध में निर्यात लाइसेंस देने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। 20 रासायनिक मदों के निर्यात की स्वीकृति पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा किसी अन्य प्राधिकार का हवाला दिए बिना ही उच्चतम मासिक सीमा के भीतर पहले आए सो पहले पाए के आधार पर दी जाएगी। इन मदों की एक सूची इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध “ए” में दी गई है।

8. निर्यात के लिए अनियंत्रित मदें—ऐसी बहुत सी मदें जो निर्यात के लिए अब तक नियंत्रित थी अब वे अनियंत्रित हो गई हैं—देखिए निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश संख्या : ई (सी) ओ, 1968/ए एम (161), दिनांक 6 अगस्त, 1975। इन मदों की एक सूची इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध बी में दी गई है।

9. मानव केश के निर्यात को सरणीबद्ध नहीं किया गया है और ये अनियंत्रित हैं।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची-1 के भाग बी की क्रम संख्या : 25 (1) के अन्तर्गत आने वाले कूटा हुआ चावल (चिवड़ा) और पफ़ूड राइस (मुरमुरा) और क्रम संख्या 37 के अन्तर्गत आने वाले बिनोभार में ग्राम के टुकड़े को नियंत्रित मद नहीं समझा जाएगा। इन मदों के निर्यात की स्वीकृति किन्हीं भी लाइसेंस औपचारिकताओं के बिना ही दी जाएगी।

11. निर्यात के लिए “निषेध” से “प्रतिबन्ध” और इसके विपरीत की सूची में हस्तांतरित मदें—बारह मदें (या उप-मदें) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की सूची-1 के भाग ए से भाग बी में हस्तांतरित की गई हैं और उक्त अनुसूची-1 में ग्यारह मदें भाग बी से भाग ए में हस्तांतरित की गई हैं—देखिए—निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश संख्या : ई (सी) ओ, 1968/ए एम (161), दिनांक 6 अगस्त, 1975। इन मदों की एक सूची इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध बी में दी गई है।

अनुबन्ध ए

1. बैजीन
2. ब्यूटिल अल्कोहल
3. ब्यूटिल एनसिटेट
4. मोनों क्लोरो एथसटिक एसिड
5. टोलुहन
6. एथैनोल एनाइन
7. डि-एसिटोन अल्कोहल
8. नाइट्रो टोलुहन
9. ट्रिक्लोरो एथिलीन
10. परफ्लोरो एथिलीन
11. टेट्रा क्लोरो एथैना
12. बिस्किनोल
13. पोलिस्ट्रीन
14. 2-एथिल हैक्सानोल
15. हैक्सानोल
16. फिनोल
17. थैलिक एनहाइडाइज
18. थैलिक प्लास्टिडाइजर
19. रबड़ रसायन
20. पी० बी० सी० रेजिन्स

अनुबन्ध बी

(1) भाग ए से भाग बी में हस्तान्तरित की गई मदों की सूची

1. पोलिस्ट्रीन
2. एथिल हैक्सानोल
3. हैक्सानाइन
4. फिनोल
5. थैलिक एनहाइडाइड
6. थैलेट प्लास्टिडाइजर्स
7. रबड़ रसायन
8. पी एफ मोल्डिंग पाउडर

9. पी एफ रैजिन्स
10. यू० एफ० रैजिन्स
11. यू एफ मील्डिंग पाउडर
12. पी० व० सी रैजिन्स

(2) भाग बी से भाग ए में हस्तांतरित की गई मर्चों की सूची

1. एल्युमीनियम, अनूराट
2. क्रॉम ओर्त एवं कंसट्रेंट्स
3. जिंक कंसट्रेंट
4. बैनाडियम ओर्स एवं कंसट्रेंट
5. आयरन ओर्स वाले बैनाडियम टं
6. टंगस्टन (वोल्फ्रेम) ओर्स एवं कंसट्रेंट्स
7. सोडा राख
8. सिट्रिक एसिड
9. क्रियासोट तेल (हल्का तथा भारी) कौल तार मिश्रण जिसमें कौलतार हो
10. निम्नलिखित गोंद एवं रैजिन्स:— ओलिया—रैजिन्स एक्स—रीनस लोंगी—फोलिया
11. रेशम के कड़े ।

(3) अनियंत्रित की गई मर्चों की सूची

1. मैमने का रोंएदार चमड़ा कच्चा तथा अम्लित
2. मानव केश वगैरह एवं अन्य वस्तुएं जो अंशतः अथवा पूर्णतः मानव केश से तैयार की गई हों ।
3. केले
4. आइन में ग्राम के टुकड़े
5. सूती रद्दी
6. मोटर वाहन, अर्थात् जीप्स, मोटर कार एवं मोटर साइकल
7. शीट्स, सर्किल, तारों राड एवं फायल्स के रूप में सेमी शीशा
8. जिंक आक्साइड
9. धान का भूसा (जिसमें सुखा और चूर्ण चावल (धान) भूसा कच्चा एवं परिष्कृत दोनों रूप में शामिल हैं) किन्तु चावल आन से भिन्न
10. जिंक सल्फेट
11. जिंक हाइड्रोक्साइड

12. मेटामाइन
13. मेटामाइन फिनोल
14. एथिल एसिटेट
15. फार्मलडिहाइड
16. औ-एक्सलीन (आर्या-एक्सलीन)
17. मिश्रित-एक्सलीन
18. सोयाबीन आधार वाले प्रयोग किए जाने वाले खाद्य ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।